



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2021 को थाना श्रीनगर **SHO** श्री संजय कुमार शर्मा



द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश मय हमराह का0 अनुज कुमार , का0 राजीव कुमार ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं.68/21 धारा 306 भादवि में वांछित 02 नफर नामजद अभियुक्तगण क्रमशः 1. दिलीप विश्वकर्मा पुत्र स्व रामचरन विश्वकर्मा उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी मुहल्ला दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2. छंगा उर्फ रामकिशोर श्रीमाली पुत्र भुवानीदीन श्रीमाली उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मुहल्ला देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को बेलाताल तिगैला से गिरफ्तार गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
2. का0 अनुज कुमार 3. का0 राजीव कुमार ।

### **गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण...**

1. दिलीप विश्वकर्मा पुत्र स्व रामचरन विश्वकर्मा उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी मुहल्ला दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा ।
- 2- छंगा उर्फ रामकिशोर श्रीमाली पुत्र भुवानीदीन श्रीमाली उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मुहल्ला देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा ।



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**क्षेत्राधिकारी नगर मय पुलिस बल के शहर में पैदल गस्त करके लोगो को लॉकडाउन के प्रति किया जा रहा जागरूक**



आज दिनांक 23.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गस्त करके लोगो को लगाये गये लॉकडाउन के प्रति जागरूक किया गया, एवं लोगो से अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। पैदल गस्त के दौरान लोगो से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने एवं मास्क

का प्रयोग करने व हाथों को बार-बार धोने व भीड़-भाड़ वाली जगहो पर न जाने को कहा गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त नियमों को पालन करने की अपील की गई। यातायात नियमो के उल्लंघन पर **03 ई-चालान व** कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **07 व्यक्तियों से 8000/- रु0 शुल्क वसूला गया।**

